न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 13/14 (वाद)
GCMS No. : 2014/00037

1. श्री मांगु खा पिता कादरबक्ष पिनारा मुसलमान मृतक के बजाय :–

1/1 श्रीमती रशीदा पत्नी मांगु खां पिनारा निवासी ईण्टाली तह. मावली।

1/2 श्रीमती रूक्कन पुत्री मांगु खां पत्नी राज मोहम्मद निवासी सांवलिया जी, तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ।

1/3 श्रीमती अकीला पुत्री मांगु खां पत्नी जुम्मा खां निवासी डुंगला जिला चित्तौडगढ।

1/4 श्रीमती जेबून पुत्री मांगु खां पत्नी अलादीन निवासी धनेतकलां तह. चित्तौडगढ।

1/5 श्रीमती शबाना पुत्री मांगु खां पत्नी ईशाक मोहम्मद निवासी सेंगवा तह. भदेसर।

2. श्री अय्युब हुसैन पिता मंसुरबक्ष पिनांरा मुसलमान निवासी ईण्टाली तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री परसराम पिता धनराज सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
2. श्री डालचन्द पिता धनराज सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
3. श्री कैलाश पिता धनराज सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
4. श्रीमती रामीबाई बेवा धनराज सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
5. श्रीमती कमला पिता धनराज पत्नी कैलाश सोनी निवासी बम्बोरा तह. गिर्वा।
6. श्रीमती मंजू पिता धनराज पत्नी प्रकाश सोनी निवासी देलवाडा तह. नाथद्वारा।
7. श्री गिरधारी पिता गोटू सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
8. श्रीमती मधुबाला बेवा प्यारचन्द सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
9. श्री दिनेश पिता प्यारचन्द सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
10. श्रीमती सरोज पिता प्यारचन्द पत्नी मदनलाल सोनी निवासी गुडा तह. रेलमगरा।
11. श्रीमती प्रमीला पिता प्यारचन्द पत्नी हीरालाल सोनी निवासी खमनोर तह. नाथद्वारा।
12. श्री फतहलाल पिता कन्हैयालाल सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
13. श्री मुकेश पिता कन्हैयालाल सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
14. श्रीमती तुलसीबाई पिता कन्हैयालाल पत्नी जगदीश सोनी निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. श्रीमती मुन्नाबाई पिता कन्हैयालाल पत्नी रामलाल सोनी निवासी रेलमगरा जिला राजसमन्द।
16. श्रीमती गीताबाई पिता कन्हैयालाल पत्नी शंकरलाल सोनी निवासी गिंगला जिला उदयपुर।
17. श्री सलीम मोहम्मद पिता धनुरबक्ष पिनारा मुसलमान निवासी ईण्टाली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:07:42 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–1. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 5, 7, 12, 15
3. श्री कमलेश पगारिया, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 18

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 13.11.2024

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ईण्टाली की आराजी नम्बर 2301, 2302, 2304 किता 3 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा उपरोक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्यारचन्द, परसराम, डालचन्द, कैलाश, कमला, मंजू पिता धनराज मु. रामीबाई बेवा धनराज 1/3 हि.ब. कन्हैयालाल, गिरधारी पिता गोटू 2/3 सुनार साकिन देह खातेदार के अनुसार अंकित है। उपरोक्त आराजीयात इस मामले में वादग्रस्त आराजीयात है जिससे इन्हे आगे जाकर वादग्रस्त आराजीयात के नाम से पुकारा जावेगा। उपरोक्त अंकन में से श्री प्यारचन्द की मृत्यु हो चुकी है। उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 8 से 11 है। इसी प्रकार उपरोक्त अंकन में से श्री कन्हैयालाल की भी मृत्यु हो चुकी है। उसके उत्तराधिकारीगण प्रतिवादी संख्या 12 से 17 है। प्रतिवादी संख्या 1 से 17 जाति से सुनार है, जिन्हें सोनी भी कहा जाता है। यह कि मोजा ईण्टाली, तहसील– मावली में गत पैमाईश संवत् 2022–23 के लगभग हुई है। वादग्रस्त आराजीयात के गत पैमाईश के साबिक आराजी नम्बर 1394 है।
2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात निम्नांकित पड़ोसों के बीच स्थित है :–

   पड़ौस :– पूर्व– आराजी संख्या 2305 एवं 2306 जो वादीगण एवं इसमें से वादीगण ने जिन्हें भूमि बेची उन क्रेताओं की है।

   पश्चिम – आबादी क्षेत्र, जिसमें श्री भूराजी देवड़ा, चुन्नीलाल जी मालवीया, लोगरजी मालवीया, जीतमल जी सोलंकी, उदयलाल जी सोलंकी, ऊंकार जी सोलंकी, चम्पालाल जी, उदयलाल जी, कन्हैयालाल जी मालवीया के मकानात बने हुए है।

   उत्तर– वादीगण की भूमि आराजी नम्बर 2299 एवं 2300

   दक्षिण– वादीगण की भूमि आराजी नम्बर 2342
3. यह कि वादग्रस्त आराजीयात, जिसके पड़ौस उपर दर्शाये गये है, पर वादीगण का कब्जा श्री कादरबक्ष जी के समय से ही लगातार चला आ रहा है एवं वादीपक्ष का कब्जा एक दिन के लिए भी खण्डित नहीं हुआ है। जिसको सारा संसार एवं प्रतिवादीगण स्वयं शुरू से अच्छी तरह से जानते है। श्री कादरबक्ष जी का देहान्त हो चुका है। उनके उत्तराधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:07:42 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 1 एवं मंसूर खाँ हुए। श्री मंसूर खाँ की भी मृत्यु हो चुकी है उनके उत्तराधिकारी वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 18 है।

4. यह कि वादग्रस्त आराजीयात पर श्री कादरबक्ष जी के जीवनकाल में उनका तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीपक्ष का कब्जा लगातार चला आ रहा है। कादरबक्ष जी तत्समय वादग्रस्त आराजीयात लगान के एवज में काश्त करते थे। तत्समय लगान जमा करवाना काफी कठिन कार्य था जिससे भूमि लगान के एवज में काश्त करने हेतु कादरबक्ष जी को दे दी गई थी। जिससे वे बराबर लगान जमा करा कर वादग्रस्त भूमि पर काश्त करते रहे। जिसका अंकन तत्समय की खसरा गिरदावरियों में भी अंकित है। वादग्रस्त आराजीयात वरदा नायक के पास गोटू पिता देवकिशन सुनार की ओर से रहन थी जिसका दाखला उसकी पत्नी जवेरी के नाम से लगवाया गया था किन्तु कब्जा वादग्रस्त आराजीयात पर श्री कादरबक्ष जी का ही चला आ रहा था। तत्पश्चात् श्रीमती जवेरी के पति श्री वरदा ने सम्वत् 2018 चेत विद 7 (शीतला सप्तमी) को वादगस्त आराजीयात को श्री कादरबक्ष जी को 150/– रूपये में रहन (गेणे) रख दिया एवं कादरबक्ष जी की बही में श्री वरदा ने रहन नामा भी निष्पादित कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वादी पक्ष का वादगस्त आराजीयात पर गत. करीब 70 वर्ष से आज तक लगातार कब्जा चला आ रहा है।

5. यह कि वादगस्त आराजीयात का भू राजस्व श्री कादरबक्ष जी के जीवनकाल से ही वे तथा वादीपक्ष ही अदा करते आ रहे है। यह कि वादगस्त आराजीयात में काश्त का कार्य करना, फसले बोना, फसले लेना आदि कार्य शुरू से ही अर्थात् करीब 70 वर्षों से वादीपक्ष द्वारा लगातार किया जाता चला आ रहा है। जिसको 12 वर्ष से अधिक का समय हो जाने से वादीपक्ष वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार बन चुके है, क्योंकि वादीगण का कब्जा प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर परिपक्व हो चुका है. जिससे वादीगण धारा 63 (1) (4) रा. टि. एक्ट के आधर पर वादग्रस्त आराजीयात के खतेदार काश्तकार हो चुके है।

6. यह कि वादीगण के आधिपत्य में प्रतिवादी संख्या 1 से 17 द्वारा कभी कोई आपत्ति नहीं की गई एवं वादीपक्ष का आधिपत्य लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेखों में वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के नाम अंकित रह जाने से अब प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई एवं वे अब वादी पक्ष से वादग्रस्त आराजीयात को जबरन छीनना चाहते है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 अब वादीगण को धमकियां देने लग गये है कि वादग्रस्त आराजीयात राजस्व अभिलेखों में उनके नाम अंकित होने का उन्हें पता चल गया है। इस कारण वे वादग्रस्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करके रहेंगे। प्रतिवादी संख्या 1 से 17 द्वारा इस प्रकार की धमकियां एवं चुनौतियां वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2024.11.19 14:07:42 IST
Reason: SelfAttested

दिये जाने से वादीगण के विधिक अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वादीगण को घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु यह वाद प्रस्तुत करने पर बाध्य होना पड़ा है

7. यह कि वादीगण का विकल्प में यह भी लेख है कि वादग्रस्त आराजीयात को श्री गोटू पिता देवकिशन सुनार (प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के पूर्वज) द्वारा वरदा नायक, निवासी रेलमंगरा को रहन रखने से तथा श्री वरदा द्वारा पुनः श्री कादरबक्ष जी को रहन रखने से एवं श्री गोटू पिता देवकिशन अथवा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा कभी भी रहन नहीं छुड़ाने से भी प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के समस्त अधिकार वादग्रस्त आराजीयात में विलुप्त हो चुके है एवं रहन छुड़ाने की मियांद समाप्त होने के पश्चात् भी 12 वर्ष से अधिक समय से लगातार कब्जा वादीपक्ष का चला आने से भी वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार हो चुके है और अपने पक्ष मे इस हेतु घोषणा करवाने बाबत अधिकारी है।

8. यह कि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 से 17 का नाम अंकित रह जाने मात्र से प्रतिवादी संख्या 1 से 17 नाजायाज गिरोह की मदद से वादीगण से वादग्रस्त आराजीयात को जबरन छीनने पर उतारू है व इस हेतु ऐलानिया धमकियां दे रहे है। अभी दिनांक 07–06–2006 को भी प्रतिवादी संख्या 1 से 17 में से कुछ व्यक्ति मौके पर आये व वादीगण को जमीन छोड़ने बाबत् धमकी दी। उस दिन गांव वालों द्वारा समझाईश करने से वे चले गये किन्तु कल पुनः वादग्रस्त आराजीयात पर आये व लड़ाई–झगड़ा किया जिससे वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु वाद कारण उत्पन्न हुआ।

9. यह कि प्रतिवादी संख्या 18 वर्तमान समय में ईण्टाली में नहीं होकर विदेश में है, जिससे उसे वादी बनाया जाना सम्भव नहीं है, किन्तु वह आवश्यक पक्षकार है, जिससे उसे प्रतिवादी संख्या 18 बनाया गया है।

10. अंत में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें कि (क) कि यह घोषणा कराई जावें कि वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से के खातेदार वादी संख्या 1 एवं 1/2 हिस्से के खातेदार वादी संख्या 2 तथा प्रतिवादी संख्या 18 हिस्सा बराबर से है और इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन करवाने के अधिकारी है। (ख) कि यह स्थायी निषेधाज्ञा पारित कराई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 से 17 वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश करें, न वादग्रस्त आराजीयात को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करें, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से ही करावें।

11. प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 7 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:07:42 IST
Reason: SelfAttested

किया कि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88–188 राज०टि०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगण द्वारा वादग्रस्त जायदाद को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपने पक्ष में खातेदारी हक की घोषणा चाही गई है जिसका स्पष्ट उल्लेख वाद पत्र में किया गया है। जबकि कानूनन प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार की घोषणा विधि द्वारा वर्जित है।

12. यह कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त जायदाद को तथाकथित रहननामे से स्वयं के पास आना वाद में उल्लेख किया है। जबकि वादीगण द्वारा बताये गये तथ्यों अनुसार हमारे मौरूस गोटू पिता देवकिशन जी सुनार द्वारा वादग्रस्त जायदाद को वरदा नायक के पास रहन रखने का कथन किया है जबकि रहन का दाखला जवेरी पत्नी वरदा नायक के नाम से लगे होने का कथन इंगित किया है तत्पश्चात् वरदा द्वारा वादग्रस्त जायदाद को कादर बक्ष जी के रहन रखने का कथन किया गया है। उपरोक्त दोनों ही बाते परस्पर विरोधाभासी है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद कृषि भूमियों का रहन पांच वर्ष उपरान्त स्वतः ही समाप्त माना जाता है। इसके साथ ही वादीगण जिस तथाकथित दस्तावेज के आधार पर यह वाद लाये है वह भी खाम कागज पर लिखी हुई होकर अनरजिस्टर्ड है। जबकि भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा 17 में इस तथ्य का उल्लेख किया हुआ है कि यदि किसी दस्तावेज द्वारा वर्तमान में, भविष्य में किसी अधिकार, स्वत्व अथवा हित के सृजन, अभिवृद्धि, हस्तान्तरण, प्रतिफल की प्राप्ति की रसीद या भुगतान की स्वीकृति का लेख पत्र उत्पन्न होता है जिसका मूल्य 100/– एक सौ रूपये अथवा इसके अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित दस्तावेज का पंजीयन होना अनिवार्य है। जबकि उपरोक्त वाद में जो लिखापढी वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है वह अनरजिस्टर्ड, खाम कागज पर होकर न तो साक्ष्य में ग्राह्य है, न ही इनसे किसी प्रकार के स्वत्व अथवा हक वादीगण को प्राप्त होते है। इस आधार पर वादी का वाद निरस्त होने योग्य है।

13. यह कि पंजीयन के अभाव में स्वामित्व का अन्तरण असम्भव है इस तथ्य को सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 एवं धारा 47 रजिस्ट्रेशन एक्ट में विस्तार से बताया गया है। उपरोक्त वाद में भी वादीगण का वादाधार भी अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड दस्तावेज है जिससे वादीगण को किसी प्रकार के कोई हक अथवा अधिकार प्राप्त नही होते है।

14. अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद इसी स्टेज पर सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

15. अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी के वाद प्रतिकूल कब्जे के अतिरिक्त अन्य आधारों पर भी आधारित है जिसका विस्तृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:07:42 IST
Reason: SelfAttested

उल्लेख वाद पत्र में अंकित हैं। प्रतिवादी का यह कथन अस्वीकार है कि कानूनन प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार की घोषणा विधि द्वारा वर्जित है, बल्कि प्रतिकूल आधिपत्य के सिद्धान्त पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान हैं। समस्त एतराज वाद की विषयवस्तु है जिसे आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में तय नहीं किये जा सकते है तथा दोनो पक्षों की साक्ष्य लेकर ही निर्धारित किये जा सकते हैं।

16. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत है। वादी सं. 2 द्वारा साक्ष्य में मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रतिवादी द्वारा मात्र प्रकरण को लम्बा करने की गरज से वाद प्रस्तुत करने के करीब 13 वर्षों बाद मिथ्या कथनो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्त योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्त फरमाया जावे।

17. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 7 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 7 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

18. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—**वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:07:42 IST
Reason: SelfAttested

अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

19. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तह. मावली की जमाबन्दी सम्वत् 2060–63 के खाता संख्या 439 पर दर्ज आराजी नम्बर 2301, 2302, 2304 किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण के मौरूस के नाम दर्ज हैं। वादीगण अपने वाद के माध्यम से रहन का अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पड दस्तावेज तथा विगत 70 वर्षों से निर्बाध कब्जे को आधार बनाकर वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते हैं। **जबकि कानून की स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिकूल/पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं, केवल धारा 63(1)(4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के ही प्रावधान हैं। RRT 2011 पेज 721 के वृहत पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान हीं नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना है। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं, साथ ही न्यायिक दृष्टान्त छोगा बनाम रामनाथ 1981 आर.आर.डी. 173 के अनुसार जब ईकरारनामा रजिस्ट्रीकृत नहीं था, तो इससे वाद भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।** इससे स्पष्ट है कि अनरजिस्डर्ट दस्तावेज के आधार पर भी वादीगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर वादीगण का वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:07:42 IST
Reason: SelfAttested

जाता हैं। अतः वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 7 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:07:42 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मांगु खा पिता कादरबक्ष पिनारा मुसलमान मृतक के बजाय :–

1/1 श्रीमती रशीदा पत्नी मांगु खां पिनारा निवासी ईण्टाली तह. मावली।

1/2 श्रीमती रूक्कन पुत्री मांगु खां पत्नी राज मोहम्मद निवासी सांवलिया जी, तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ।

1/3 श्रीमती अकीला पुत्री मांगु खां पत्नी जुम्मा खां निवासी डुंगला जिला चित्तौडगढ।

1/4 श्रीमती जेबून पुत्री मांगु खां पत्नी अलादीन निवासी धनेतकलां तह. चित्तौडगढ।

1/5 श्रीमती शबाना पुत्री मांगु खां पत्नी ईशाक मोहम्मद निवासी सेंगवा तह. भदेसर।

2. श्री अय्युब हुसैन पिता मंसुरबक्ष पिनांरा मुसलमान निवासी ईण्टाली तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री परसराम पिता धनराज सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
2. श्री डालचन्द पिता धनराज सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
3. श्री कैलाश पिता धनराज सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
4. श्रीमती रामीबाई बेवा धनराज सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
5. श्रीमती कमला पिता धनराज पत्नी कैलाश सोनी निवासी बम्बोरा तह. गिर्वा।
6. श्रीमती मंजू पिता धनराज पत्नी प्रकाश सोनी निवासी देलवाडा तह. नाथद्वारा।
7. श्री गिरधारी पिता गोटू सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
8. श्रीमती मधुबाला बेवा प्यारचन्द सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
9. श्री दिनेश पिता प्यारचन्द सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
10. श्रीमती सरोज पिता प्यारचन्द पत्नी मदनलाल सोनी निवासी गुडा तह. रेलमगरा।
11. श्रीमती प्रमीला पिता प्यारचन्द पत्नी हीरालाल सोनी निवासी खमनोर तह. नाथद्वारा।
12. श्री फतहलाल पिता कन्हैयालाल सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
13. श्री मुकेश पिता कन्हैयालाल सोनी निवासी ईण्टाली तह. मावली।
14. श्रीमती तुलसीबाई पिता कन्हैयालाल पत्नी जगदीश सोनी निवासी कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. श्रीमती मुन्नाबाई पिता कन्हैयालाल पत्नी रामलाल सोनी निवासी रेलमगरा जिला राजसमन्द।
16. श्रीमती गीताबाई पिता कन्हैयालाल पत्नी शंकरलाल सोनी निवासी गिंगला जिला उदयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:07:42 IST
Reason: SelfAttested

17. श्री सलीम मोहम्मद पिता मंसुरबक्ष पिनांरा मुसलमान निवासी ईण्टाली तह. मावली।
.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 13/14 (वाद) GCMS No. : 2014/00037

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:07:42 IST
Reason: SelfAttested